

संशोधित: पैरेंट पेमेंट पोर्टल अब खुल गया है

अक्टूबर 14, 2025 [मीडिया पूछताछ](#)

टीचर हड़ताल से प्रभावित अल्बर्टा परिवारों की सहायता के लिए पैरेंट पेमेंट प्रोग्राम के लिए आवेदन अब खुल गये हैं।

बच्चों के घर पर रहने के दौरान परिवारों को होने वाले अतिरिक्त खर्चों को कम करने में मदद के लिए, अल्बर्टा सरकार पैरेंट पेमेंट प्रोग्राम शुरू कर रही है, जो व्यवधान की अवधि के दौरान प्रति छात्र प्रति दिन \$30 प्रदान करेगी।

ParentPayment.Alberta.ca पर जाकर या Alberta.ca पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ही पैरेंट पेमेंट पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है।

परिवार 14 अक्टूबर से, Alberta.ca पर पैरेंट पेमेंट प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह भुगतान 12 वर्ष या उससे कम आयु के उन छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों के लिए उपलब्ध है जो उन पब्लिक, कैथोलिक या फ्रैंकोफोन स्कूलों में पढ़ते हैं जो हड़ताल से प्रभावित हैं। यह सहायता बच्चों के स्कूल नहीं जा पाने के दौरान चाइल्ड केयर, ट्यूटोरिंग या अन्य सीखने की गतिविधियों से जुड़े अतिरिक्त खर्चों का भुगतान करने के लिए है।

जिन माता-पिता के दिव्यांग बच्चे प्रभावित स्कूलों में नामांकित हैं, उन दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक सहायता (फैमिली सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद डिस्पैबिलिटीज-FSCD) समझौते के तहत अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है, ऐसे परिवारों को FSCD समझौते पर दिया गया अपने बच्चे का FSCD फ़ाइल आईडी नंबर प्रदान करना होगा, लेकिन इसके लिए अलग से आवेदन प्रक्रिया आवश्यक नहीं है।

12 वर्ष या उससे कम आयु के सक्रिय FSCD समझौते वाले बच्चों के परिवारों को प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस \$30 अतिरिक्त सहायता मिलेगी। पैरेंट पेमेंट प्रोग्राम के साथ मिलाकर यह राशि प्रति पाँच दिवसीय स्कूल सप्ताह में कुल \$300 की होगी।

13 से 17 वर्ष की आयु के सक्रिय FSCD समझौते वाले बच्चों के परिवार प्रति बच्चा प्रति शिक्षण दिवस \$60 प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिससे पाँच दिवसीय स्कूल सप्ताह के लिए उन्हें कुल \$300 मिलेंगे।

हड़ताल की अवधि के दौरान, प्रत्येक माह के अंतिम दिन भुगतान जारी किया जाएगा और यह 6 अक्टूबर से रेट्रोएक्टिव (पिछली तिथि से लागू) होगा। पहला भुगतान 31 अक्टूबर को ई-ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा।

पात्रता

पैरेंट पेमेंट प्रोग्राम के लिए पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

- आप 12 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक हों।
- आपका बच्चा किसी पब्लिक, कैथोलिक या फ्रैंकोफोन स्कूल में नामांकित हो।
- आप और आपका बच्चा अल्बर्टा के निवासी हों।

जटिल देखभाल आवश्यकताओं वाले बच्चों के परिवारों को उपलब्ध अतिरिक्त सहायता के लिए निम्न अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी होंगी:

- आप 17 वर्ष या उससे कम आयु के उस बच्चे के माता-पिता या अभिभावक हों जिसके पास सक्रिय FSCD समझौता हो।

माता-पिता के आवेदन की समीक्षा और सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पात्रता मानदंड पूरे किए गए हैं।

प्रत्येक बच्चे के लिए केवल एक माता-पिता या अभिभावक पैरेंट पेमेंट प्रोग्राम के पात्र होंगे।

आवेदन कैसे करें

चरण 1. अपने सत्यापित [Alberta.ca](https://alberta.ca) अकाउंट में लॉग इन करें।

- यदि आपके पास नहीं है, तो एक [नये Alberta.ca](https://alberta.ca) अकाउंट के लिए साइन-अप करें।

चरण 2. [पैरेंट पेमेंट प्रोग्राम](#) पोर्टल पर पंजीकरण करें।

त्वरित तथ्य

- पैरेंट पेमेंट **कर-मुक्त** हैं और इससे मौजूदा लाभ प्रभावित नहीं होंगे। परिवारों को राशि वापस नहीं करनी होगी।
- भुगतान इंटरैक्टिव ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रत्येक बच्चे के लिए केवल एक माता-पिता या अभिभावक पात्र होंगे।
- यह कोई नया फंडिंग प्रोग्राम नहीं है। यह वही राशि है जो शिक्षकों के वेतन से हड़ताल की अवधि के दौरान परिवारों के समर्थन हेतु पुनर्निर्देशित की जा रही है।

संबंधित जानकारी

- [स्कूल बंद होने के दौरान पैरेंट सपोर्ट्स](#)
- [Alberta.ca अकाउंट के बारे में](#)

मीडिया पूछताछ

[गैरेट कोहलर](#)

780-554-5777

प्रेस सचिव, शिक्षा एवं बाल देखभाल विभाग